हादसा | ट्रक ने मारी थी कार को टक्कर, बरेला की घटना

अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को घसीटा, 2 की मौत

जबलपुर। बरेला टोल नाके के पास कोसमघाट स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के सामने गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार ने आगे जा रहे बाइक सवारों को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार मोटरसाइकिल को कई फीट तक घसीटते हुए सड़क किनारे लगी ग्रिल से जा टकराई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार बीजाडाडी मंडला निवासी राजेश घुमकेतु पिता गजराज 31 वर्ष, बलवंत गोठरिया पिता बालीराम गोठरिया 25 वर्ष मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 20 जेड एन 5241 से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी कोसमघाट के पास वे इस भीषण हादसे का शिकार हो गए गुरूवार शाम करीब चार बजे वह जैसे ही बरेला टोल नाके के पास कोसमघाट स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के सामने पहुंचे तभी अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से कार क्रमांक एमपी 51 जेड बी 3909 को टक्कर मार और बेलगाम कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। कार दोनों को घसीटते हुए ले गई इसके बाइक रैलिंग से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई।

युवक का हाथ-पैर कटा सड़क पर पड़े रहे शव

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना खौफनाक था कि कार की चपेट में आने से एक युवक का हाथ और पैर कटकर शरीर से अलग हो गए। दोनों युवकों के शव और कटे हुए अंग सड़क पर ही बिखरे रहे, जिससे राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही बरेला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क पर बिखरे अंगों और शवों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ समेटकर मर्चुरी भिजवाया।

कार के उड़े परखच्चे चालक मेडिकल कॉलेज रेफर

ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हुई कार का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया है। हादसे में कार चालक यश 37 वर्ष निवासी अम्बेडकर वार्ड, मंडला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के बाद तत्काल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक की तलाश शुरू कर दी है।

डंपर ने रौंदा, वृद्धा की मौत

तिलवारा थाना अंतर्गत न्यू शास्त्री नगर में बेलगाम डंपर ने घर के बाहर टहल रही वृद्धा को रौंद दिया। हादसे में वृद्ध की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार न्यू शास्त्री नगर निवासी राजकुमारी सिंह (70) गुरुवार दोपहर घर के पास टहल रही रही थी तभी दोपहर 2 बजे डम्पर क्रमांक एमपी 20 जी 6855 के चालक ने कुचल दिया। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आ गई और उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पात्रता की तारीख से दें तृतीय-चतुर्थ क्रमोन्नति : हाईकोर्ट

40 वर्ष की सेवा के बाद भी लाभ से वंचित करने का मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को पात्रता की तारीख से तृतीय-चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। यह प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाये। मामला याचिकाकर्ता को 40 साल की सेवा के बाद भी लाभ से वंचित किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि तृतीय व चतुर्थ क्रमोन्नति का वेतनमान नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना के आधार पर 30 व 35 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाएगा न कि मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र 23 मार्च 20026 व एक अप्रैल 2026 में वर्णित तिथि एक जुलाई 2023 से प्रभावशील माना जाएगा।

दरअसल 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए छतरपुर के सहायक शिक्षक राजकुमार पटेरिया को चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज चंसौरिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ था। उसने 26 मार्च व एक अप्रैल 2026 के शासन आदेश की संबंधित शर्त को चुनौती दी है। याचिका में चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ पात्रता की तारीख से देने तथा वेतन निर्धारण एवं सेवानिवृत्ति लाभों में उसका प्रभाव देने की मांग की गई है। अधिवक्ता चंसौरिया ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह का मुद्दा कृष्ण वल्लभ मकवाना बनाम मप्र शासन मामले में 21 मार्चए 2025 को तय किया जा चुका है। उस मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिये, भले ही वह संबंधित परिपत्र जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुका हो। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि पटेरिया के मामले में चतुर्थ क्रमोन्नति के लिए उनकी पात्रता की तारीख से विचार किया जाये।

युवक के चार हत्यारों को आजीवन कारावास

अधारताल थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 50.50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोपियों को धारा 296 के तहत दो माह का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। प्रकरण के अनुसार 9 जून 2025 को राज कोल अपने दोस्त साहिल कोल के साथ अस्पताल गया था। लौटते समय साहिल के घर के पास गोविन्द कोलए बेटू उर्फ सौरभ कोल, प्राशु उर्फ सुबोध कोल और राजन उर्फ राजेन्द्र कोल ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर गोविन्द ने लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 जून को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैध ने पैरवी की। अभियोजन अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई पैरवी के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

रिटायर्ड कर्मी को जाल में फंसा ठग ने लगाया चूना

पुराने सिक्कों और दुर्लभ नोटों के बदले दिया 29.80 लाख का लालच

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत गंगा मैय इलाके में रहने वाले एक 67 वर्षीय बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी को ठग ने फेसबुक पर पुराने सिक्कों और दुर्लभ नोटों के बदले 29.80 लाख देने लालच देकर अलग-अलग किस्तों में कुल 53,200 की का चूना लगा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित धनसिंह ठाकुर पिता स्व. कंधीलाल ठाकुर एमईएस से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पेज पर एक आकर्षक विज्ञापन देखा था। इस विज्ञापन में पुराने सिक्कों और दुर्लभ नोटों के कलेक्शन के बदले 29,80,000 देने का दावा किया गया था। इस भारी-भरकम राशि के लालच में आकर पीड़ित ने दिए गए मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर अपने पास रखे पुराने सिक्कों व नोटों की तस्वीरें भेज दीं। तस्वीरें भेजने के अगले ही दिन पीड़ित के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने खुद का नाम राजज्ञानी बताया। उसने सिक्के खरीदने की पुष्टि करते हुए बुजुर्ग को पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया। इसके बाद विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं, आरबीआई क्लियरेंस और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर झांसा देकर फोनपे के माध्यम से 12,500 ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने बुजुर्ग के सीधेपन का फायदा उठाते हुए 53,200 ट्रांसफर करवा लिए। जब पीड़ित धनसिंह ठाकुर को न तो सिक्कों के पैसे मिले और न ही फोन करने वाले ने दोबारा सही जवाब दिया, तब उन्हें खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ। बुजुर्ग ने तत्काल रांझी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

एमसीएम के घर हुई लाखों की चोरी

जबलपुर। ओएफके में पदस्थ एमसीएम के घर चोरों ने धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवरात समेत नगदी पार कर दी। पुलिस ने बताया कि परमलाल पटेल 52 वर्ष निवासी वेस्ट लेंड खमरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ओएफके खमरिया में एमसीएम के पद पर पदस्थ है नई अर्टिका कार खरीदने के बाद पूजा के लिए अपने परिवार सहित लगभग 1-30 बजे त्रिपुरी सुंदरी गया था इसी दौरान घर पर कोई नहीं था गाड़ी की पूजा कराकर शाम लगभग 6 बजे घर वापस आया तो किचिन के पीछे का दरवाजा खुला मिला। अलमारी में रखे जेवरात, नगदी गायब थे।

जीता तो हाईकोर्ट बार को बनाऊंगा नंबर वन : मृगेंद्र सिंह

बार की गरिमा बहाल करने, जूनियर-सीनियर और बार-बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य का किया वादा

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान आगामी सोमवार को होगा। अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने जीत की स्थिति में हाईकोर्ट बार को देश का नंबर वन आदर्श बार बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।

पत्रवार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता व अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के मृगेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि अधिवक्ता उन पर विश्वास जताकर अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं तो उनके कार्यकाल में बार की गरिमा और सम्मान को नई ऊंचाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार में पूर्व में ऐसे वरिष्ठ विधिवेत्ता रहे हैं, जिन्होंने बार की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पिछले करीब 10 वर्षों में बार की गरिमा प्रभावित हुई है, जिसे पुनः स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी।

जूनियर-सीनियर और बार-बेंच में बेहतर समन्वय

मृगेंद्र सिंह ने कहा कि जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही बार और बेंच के बीच भी स्वस्थ एवं प्रभावी सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। उनका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों के साथ न्यायिक व्यवस्था की गरिमा भी मजबूत हो।

बीमा और स्वास्थ्य योजना का वादा

उन्होंने अधिवक्ताओं और बार के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा तथा स्वास्थ्य योजना शुरू करने की बात कही। महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी वादा किया। इनमें अलग बैठने की व्यवस्था, पृथक शौचालय और छोटे बच्चों के लिए पालना घर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि इन योजनाओं और बार के समग्र विकास के लिए सभी अधिवक्ताओं का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने अधिवक्ता समुदाय से उन्हें समर्थन देने और विकास की इस पहल में सहभागी बनने की अपील की।

एक नजर में

युवक पर तलवार व चाकू से जानलेवा हमला

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत 16 क्वार्टर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर सैलून के अंदर तलवार और चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय युवक सोहराब खान अपने दोस्त रेहान के साथ सहवान नाई की दुकान पर गया था। तभी पुरानी दुश्मनी को लेकर आरोपी आसिफ, अशफाक, अमन और लुच्चा वहां पहुंचे। विवाद के दौरान अशफाक ने जान से मारने की नीयत से सोहराब के सिर पर तलवार से वार कर दिया, जबकि अमन ने चाकू से और आसिफ व लुच्चा ने लात-घूंसों से मारपीट की। घायल को तुरंत विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हनुमानताल पुलिस ने आरोपी आसिफ, अशफाक, लुच्चा और अमन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रैक्टर ट्राली ले गए चोर

जबलपुर। पनागर थाने में मुकेश कुमार पटेल निवासी ग्राम इमलई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 जेड सी 7211 में ट्राली लगी हुयी थी जिसे प्लाट के बाहर राजेन्द्र सेन के घर के सामने खड़ा करके सतना में पत्नी का इलाज कराने चला गया था। जब वापिस लौटा तो ट्रैक्टर गायब था।

ट्रैक्टर ट्राली से ढुल रही रेत पकड़ाई

जबलपुर। पाटन पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली से ढुल रही रेत पकड़ी है। पुलिस के मुताबिक मढ़वा पुलिया के पास दबिश देकर ट्रैक्टर चालक राजेन्द्र सिंह लोधी पिता गुलजार सिंह लोधी 50 वर्ष निवासी ग्राम मढ़वा को पकड़ा गया। ट्राली को चैक करने पर रेत लोड थी। ट्राली मय रेत के जप्त करते हुये फरार ट्रेक्टर चालक राजेन्द्र सिंह लोधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 17 को, तैयारियां अंतिम चरण में

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। चुनाव अधिकारी संजय सेठ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। चुनाव में कुल 3112 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 3004 सामान्य और 108 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव में अध्यक्ष, दो सामान्य उपाध्यक्ष और एक महिला

उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव तथा लाइब्रेरी सचिव के पदों के साथ कार्यकारिणी सदस्य के पदों पर भी निर्वाचन होगा। कार्यकारिणी में पांच सामान्य और तीन महिला सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक एवं चुनाव अधिकारियों की टीम भी गठित की गई है, जबकि मतदान प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट किए जाने की व्यवस्था भी रखी गई है।

इस दिन आएंगे परिणाम

मतदान के बाद 18 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से मतगणना शुरू होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले अध्यक्ष और सचिव पद के मतों की गिनती की जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह है और विभिन्न पदों पर चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अधिवक्ताओं से संपर्क कर समर्थन जुटा रहे हैं। चुनाव अधिकारी संजय सेठ की देखरेख में मतदान एवं मतगणना की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा सके।

फुटपाथ पर कट रही थी जिंदगी अस्पताल में मौत के बाद बेबसी

गरीब नवाज कमेटी ने भाई के हाथ करवाया बहन का अंतिम संस्कार

जबलपुर। विक्टोरिया अस्पताल में एक बार फिर गरीबी और बेबसी का ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर हर किसी की आँखें नम हो गई। लेकिन इस दुखद मोड़ पर गरीब नवाज कमेटी ने इंसानियत की मिशाल पेश की, जिसने समाज को यह भरोसा दिलाया कि कोई भी गरीब लावारिस नहीं है। कमेटी के सदस्यों ने न सिर्फ एक लाचार भाई का संबल बढ़ाया, बल्कि उसकी मृत बहन का ससम्मान अंतिम संस्कार भी संपन्न कराया। जानकारी के अनुसार मूलतः ग्वालियर निवासी अनिल वर्मा अपनी 50 वर्षीय बहन जयश्री वर्मा के साथ पिछले 4-5 वर्षों से जबलपुर में रह रहे थे। दोनों भाई-बहन एक होटल में काम करते थे। रहने का कोई स्थाई ठिकाना न होने के कारण वे रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर ही सोया करते थे। दोनों भाई-बहन एक-दूसरे का सहारा बने हुए थे। करीब दो-तीन दिन पहले जयश्री वर्मा की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई। भाई अनिल ने हिम्मत जुटाकर उन्हें विक्टोरिया अस्पताल की कैजुअल्टी में भर्ती कराया। डॉक्टर की टीम ने इलाज शुरू किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान जयश्री वर्मा ने दम तोड़ दिया। बहन की मौत ने अनिल को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। बहन की मौत के बाद अनिल के सामने सबसे बड़ा संकट अंतिम संस्कार के खर्च का खड़ा हो गया। अत्यधिक आर्थिक तंगी के कारण अनिल इस स्थिति में नहीं था कि वह शव को मुक्तिधाम ले जा सके या कफन-दफन की व्यवस्था कर सके। बेबसी और मानसिक तनाव के बीच, वह भारी मन से अपनी बहन के शव को अस्पताल में ही छोड़कर जाने लगा। अस्पताल की कैजुअल्टी से जैसे ही यह सूचना बाहर आई, इसकी भनक तुरंत गरीब नवाज कमेटी को लगी। गरीब नवाज कमेटी मृतका के शव को तिलवारा मुक्तिधाम लेकर पहुंची वहाँ अनिल वर्मा के हाथों ही उनकी दिवंगत बहन जयश्री वर्मा का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति-रिवाज और विधि-विधान से संपन्न कराया गया। इस दौरान कमेटी के रियाज अली, बाबू खान, मोहम्मद तारिक, दीपक निगम, बच्चू नानकानी, मजहर अली, शौकत अली उपस्थित रहे।

नल जल योजना की राशि विधि विरूद्ध जमा करने बनाया था दबाव

जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत देवरी अमझगवां में नल जल योजना की राशि विधि विरूद्ध जमा करने दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खुदकुशी की थी। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने सरपंच समेत तीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रमेश रजक 30 वर्ष निवासी ग्राम देवरी अमगवां थाना मझौली ने जहर का सेवन कर लिया था जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान 30-नवम्बर 25 को मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि मृतक रमेश ग्राम देवरी में नल जल योजना के तहत पानी चलाता था नल जल योजना की राशि वसूली करता था, नल जल योजना की वसूली राशि नियमतः ग्राम सचिव के पास जमा करता था परन्तु गांव का सरपंच मनोज भुमिया एवं उनके साथी ओमप्रकाश तिवारी, मुकेश तिवारी, उपरोक्त राशि को विधि विरूद्ध मुकेश तिवारी के पास जमा करने के लिये दबाब तीनों मिलकर बना रहे थे। प्रताड़ित कर रहे थे। जांच में पाया गया कि ओमप्रकाश तिवारी, मुकेश तिवारी एवं मनोज भुमिया की प्रताड़ना से तंग होकर ही रमेश रजक द्वारा 28 नवम्बर को जहर का सेवन कर लिया था। आरोपी मुकेश तिवारी 49 वर्ष एवं मनोज भुमिया 38 वर्ष दोनों निवासी देवरी अमगवॉ को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया।

कैशलेस ट्रांजेक्शन से 14.56 प्राप्त

जबलपुर। यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम मध्य रेल द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के जुलाई माह में पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों के पीआरएस (आरक्षण) एवं यूटीएस (अनारक्षित) काउंटरों पर कुल 16 लाख 88 हजार 401 यात्रियों ने डिजिटल माध्यमों से भुगतान किया, जिससे रेलवे को 14 करोड़ 56 लाख 27 हजार 914 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें पीआरएस के तहत पीओएस मशीनों से 10 लाख 35 हजार 80 रुपये और यूपीआई/भीम के जरिए 6 करोड़ 21 लाख 19 हजार 579 रुपये, जबकि यूटीएस में मोबाइल टिकटिंग से 1 करोड़ 72 लाख 61 हजार 205 रुपये तथा यूपीआई/भीम से 6 करोड़ 52 लाख 12 हजार 50 रुपये का राजस्व शामिल है। रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में भी डिजिटल माध्यमों से टिकट खरीदने तथा भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कार्यवाही | अवैध नेटवर्क और बड़े सिंडिकेट का पता लगाने रिमांड की डिमांड

17 लाख की अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जबलपुर। तिलवारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बीती रात जोधपुर पड़ाव पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन से भारी 17 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। बरामद शराब, वाहन और मोबाइल की कुल कीमत 19 लाख 12 हजार रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया गया है ताकि अवैध कारोबार के सरगना, अवैध नेटवर्क और बड़े सिंडिकेट का पता लगाया जा सके।

तिलवारा थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख बाईपास रोड की तरफ से

जबलपुर-नागपुर रोड होते हुए ग्राम घाना की ओर एक पिकअप गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच और थाना तिलवारा की संयुक्त टीम ने जोधपुर पड़ाव पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे पर दबिश दी। कुछ ही देर में अंधमुख की तरफ से आ रही संदिग्ध पिकअप को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को सामने देख पिकअप में सवार चालक और उसका साथी गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी चालक घनश्याम झारिया पिता सुखलाल झारिया, (29) निवासी ग्राम खैरी, थाना जबेरा, जिला दमोह वाहन चालक और सह आरोपी राहुल यादव पिता महेश यादव, (28) निवासी लालमाटी चांदमारी तलैया, थाना घमापुर को दबोच लिया।

पिकअप में भरी थीं 192 पेटियां

जब पुलिस टीम ने पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 20 जेड क्यू 1873 के पिछले हिस्से की तलाशी ली, तो दंग रह गई। वाहन के अंदर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने मौके से कुल 192 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि यह शराब इतनी बड़ी मात्रा में कहां से लाई गई थी और इसे जबलपुर में किसे डिलीवर किया जाना था। इस अवैध नेटवर्क और बड़े सिंडिकेट का पता लगाने के लिए पुलिस अब आबकारी विभाग से भी संपर्क कर जानकारी जुटा रही है।

चार माह में 27.92 करोड़ का राजस्व प्राप्त

जबलपुर। जबलपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों और स्टेशनों पर चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान का असर अब रेलवे के राजस्व पर भी साफ दिखाई दे रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक महज चार माह के दौरान वाणिज्य विभाग की टीम ने 3 लाख 13 हजार से अधिक अनियमित, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और बिना बुक कराए अतिरिक्त सामान ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इन मामलों से रेलवे को 27 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में लगातार लक्षित

टिकट जांच अभियान चलाए गए। कार्रवाई के दौरान 1 लाख 42 हजार बिना टिकट यात्रियों से 14 करोड़ 76 लाख रुपये से अधिक, जबकि अनुचित या निम्न श्रेणी के टिकट पर उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले 1 लाख 69 हजार यात्रियों से 13 करोड़ 8 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई। अभियान के दौरान बिना बुक कराए अतिरिक्त सामान यानी ओवरलोडेड लगेज ले जाने के 4891 मामले भी पकड़े गए, जिनसे रेलवे को 8 लाख 10 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें और ई-टिकट की प्रतीक्षा सूची होने पर यात्रा न करें, क्योंकि ऐसी टिकट पर यात्रा करना वैध नहीं है। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट रखना भी अनिवार्य है। वहीं निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त लगेज की बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने कहा है कि अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष टिकट जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।